विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री सी० सी० बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सदन में विभाजन हुआ : पक्ष में ३५१: विपक्ष में, २३।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव कुल सदन के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत से स्वीकृत हुआ।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन योजना-आयोग द्वारा तयार की गई पंचवर्षीय योजना में निहित सिद्धान्तों, लक्ष्यों तथा विकास कार्यक्रमों के प्रति अपनी साधारण स्वीकृति अभिलेखित करता है।"

इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मुझे यात्रा का एक चरण पूरा हो जाने, एक कर्त्तव्य पूरा कर चुकने और यों कहो कि अच्छी तरह पूरा कर चुकने जैसा अनुभव हो रहा है और साथ ही एक अत्यन्त तीव्र लहर यह उठ रही है कि अभी अपेक्षतया अधिक दुष्कर कर्तव्य सामने पड़ा है और दूसरी यात्रा तुरन्त पूरी करनी है, क्योंकि हमारी यात्रा में कोई विराम स्थल नहीं है।

जहां तक प्रस्तुत योजना का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि इसका आरंभ योजना आयोग के जन्म के पश्चात हुआ। वस्तुतः भारत में योजना के इस प्रश्न पर पहले भी विचार किया गया था और इसी सदन तथा पिछली संसद् में इस पर चर्चा हुई थी। पर यह विशेष आरंभ ढाई वर्ष पहले योजना-आयोग के जन्म के पश्चात् ही हुआ। इस विषय में मैं औचित्य का उल्लंघन किए बिना ही बात कर सकता हूं, क्योंकि योजना-आयोग से मेरा संबंध यद्यपि निकट का संबंध था, फिर भी इसका बोझ मेरे ऊपर कम पड़ा है। यह बोझ दूसरों ने ही उठाया है और इस कारण यदि मैं उसकी प्रशंसा करूं तो यह मेरी या इस संबंध में मेरे ही कार्य की आत्मश्लाघा नहीं होगी। इसी से मैं स्वयं उस प्रशंसा का भाजक होता, तो मैं शायद उतने मुक्त रूप से न बोल सकता, जो अब बोल सकूंगा।

योजना-आयोग और उसके कर्मचारीवर्ग मे जिसमें मैं विभिन्न पद-उपाधियों वाले सभी लोगों को समेटता हूं, इस योजना को तयार करने में बड़े श्रम बड़े मनोयोग, बड़ी सचाई और बहुत ही पवित्र भावना से प्रेरित होकर काम किया है।

अतएव मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा; बिना समझे-बूझे कोरी प्रशंसा नहीं, बल्कि उनके कार्य को अच्छी तरह से समझते हुए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। और यह आवश्यक नहीं कि उस योजना के किसी भाग या किसी अध्याय से किसी के सहमत होने या न होने का उस प्रशंसा से कोई संबंध हो। यह कार्य एक अर्थ में इस प्रकार का पहला कार्य है, और निश्चय ही जहां तक हमारा संबंध है, यह इस प्रकार का पहला ही कार्य है और इतना तो हम औचित्यपूर्वक कह सकते है कि ऐसे प्रसंग में तो यह कहीं के भी लिए इस प्रकार का पहला कार्य है। हमें भली भांति विदित है कि २० वर्ष पहले

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना के हमारे सामने आने के बाद और उसकी खूब चर्चा होने के बाद ही योजना सुप्रसिद्ध हुई और फैशन बन गई। क्रमशः योजना लोगों की बातचीत का एक सर्वप्रिय अंग बन गई, यद्यपि उसकी चर्चा करने वाले व्यक्ति प्रायः यह समझे बिना ही बात किया करते है कि वे किस विषय की चर्चा कर रहे हैं।

मेरा अभिप्राय यह है कि लोग कभी कभी सीमित क्षेत्र में योजना की बात चलाया करते है। वस्तुतः पूरे राष्ट्र के लिए योजना बन सकती है ; वह इधर उधर खंडशः बनाई गई योजनाओं से कहीं बड़ी योजना होगी। वह राष्ट्र की नाना प्रकार की कार्यवाहियों के सुलझाने का एक समन्वित रुप बन जाता है। पर हमारी रीति और सोवियत रीति के बीच का अंतर– मैं दोनों की तुलना न करके उल्लेख ही कर रहा हूं—हमारे लक्ष्यों के थोड़े से अंतर के कारणस्वरूप रहा है, पर यह अंतर उतना बड़ा नहीं है, जितना समझा जा रहा है, बल्कि अंतर अपनाए गए तरीकों में है। और इस बात की दृष्टि में कि हमने प्रजातंत्रीय ढांचे को स्वेच्छा से अपनाया है, और अपने संविधान और इस संसद में उसे समाविष्ट किया है, बनने वाली कोई भी योजना स्वाभवतः इसी ढांचे के अंतर्गत बनेगी, और किसी भी योजना-आयोग को ऐसी कोई वस्तु पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका हमारे संविधान और हमारे ढांचे से कोई संबंध न हो।

इससे योजना की कुछ आत्म-निक्षिप्त सीमाएं बन जाती हैं, किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि वे सीमाएं अंतिम सीमाएं नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि यह कहना उचित है कि प्रजातंत्री कार्यप्रणाली निश्चय ही कुछ बंधन लगा देती है। इससे मार्ग अपेक्षतया दुर्गम अवश्य हो जाता है : अपनाई गई प्रक्रिया अपेक्षतया अधिक जटिल हो जाती है। पर समुचित रूप में काम करने वाला प्रजातंत्री ढांचा हम जो कुछ करना चाहें करने की अनुमति देगा। और संभवतः मेरे अनुमान से यह प्रजातंत्री ढांचे के अनेक औचित्यों में से एक औचित्य है कि यह जो कुछ करता है, उसमें देर भले लगे, पर वह अपेक्षतया अधिक सुदृढ़ नींव रखता है और विशेषतः यह व्यक्ति को न भुला कर व्यक्ति की नींव रखता है। पर मैं इस बात पर विशेष जोर नहीं देना चाहता मैं यह कहना चहता हूं कि प्रजातंत्री ढांचे और इस संसद की कार्य प्रणाली आदि को स्वीकार करने के बाद हमें इस योजना पर उस आधार से विचार करना होगा। हमने एक संविधान बनाया है, और हमें उसका पालन करना चाहिए। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान या उस का कोई अंग इतना अनुल्लंघनीय है कि देश या राष्ट्र की महती आवश्यकता पर भी उसे बदला नहीं जा सकता। निःसन्देह जब आवश्यक हो तो, सहसा तो नहीं पर पूरा विचार करने के बाद और यदि संविधान का कोई भाग राष्ट्र की प्रगति के आड़े आता है, तो इसे बदला जा सकता है। पर साधारणतः हमें संविधान के अनुसार ही अपनी योजना बनानी पड़ेगी।

यह योजना या इसकी जननी प्रारूप रूपरेखा एक वर्ष से कुछ पहले देश के और इस संसद के भी समक्ष रखी गई थी और तब संसद् ने इसे साधारणतः स्वीकार किया था। तबसे साल भर तक यह योजना पूरे देश में स्वीकृति और आलोचना और कुछ सीमा तक इसके कुछ अंगों की निन्दा का विषय रही है। और योजना-आयोग ने उस आलोचना और उसके कुछ भागों की आंशिक निन्दा से भी बहुत लाभ उठाया है। मैं नहीं समझता कि विविध संगठनों

दलों और राज्यों के साथ ही नहीं, बल्कि विचारों, अभिमतों और राष्ट्र जीवन का निर्माण करने वाले नाना-तत्वों के साथ भी ऐसा परामर्श कभी भी और कहीं भी किया गया होगा, जैसा हमने इस विशिष्ट योजना के संबंध में पिछले सवा साल में किया है। उस अर्थ में इसे योजना-आयोग के पांच-छः सदस्यों की उपज नहीं बल्कि एक संयुक्त प्रयत्न कहना चाहिए, जिसमें राष्ट्र के अधिकांश अंग ने भाग लिया है, इसलिए यह योजना-आयोग के सदस्यों के अभिमत से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। उनको बड़ी मुश्किल समस्या निपटानी पड़ी है। वस्तुतः हमारा देश विशाल है, पर देश की विशालता के अलावा हमें एक संघीय ढांचे को लेकर चलना है—केन्द्र है और विशाल राज्य हैं और राज्य भी विविध मात्रा में बंटे हुए हैं। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था से निपटना है जो कई प्रकार से एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। हमें अतीत के कर्मों और घटनाओं का फल भुगतना पड़ेगा। हमें नई सामाजिक-चेतना से जो अत्यंत वांछनीय है, निपटना है। हमें उन भारी महत्वाकांक्षाओं को भी निपटाना है, जो शीघ्र प्रगति करने के लिए हम सबका अंग बन गई हैं, और उन भारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने सीमित संसाधनों से भी निपटना है। हमें विश्व के झंझावात, संघर्ष, संकट और क्रांति वाले युग से निपटना पड़ा है और निपटना है। हमें भारत में प्रायः रूढ़िवादी पुराने विचारों वाले लोगों से निपटना पड़ता है, जो प्रगति-पथ के रोड़े बनते हैं। हमें उन कल के सुधारकों से, जो आज रूढ़िवादी हो गए हैं, और उन क्रांतिवादियों से जो यह भूल रहे हैं कि कल से आज में बहुत अंतर हो गया है, भी निपटना है। दूसरे शब्दों में हमें निरंतर परिवर्तित होने वाली गतिशील और सजीव स्थिति से निपटना है, जो धार्मिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार के अंधविश्वास द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती।

इसके सिवा भारत जैसे विशाल देश की बात करते समय आपको भारत की और उस में विद्यमान दशाओं की ही बात करनी होगी, किसी दूसरे देश की और उनको यहां दुहरान की बात नहीं। वस्तुतः कुछ सिद्धांत, आदर्श और लक्ष्य हैं, जो विभिन्न देश-काल में अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं भारत ऐसे सिद्धांतों का प्रतीक रहा है और मुझे आशा है कि आगे भी बना रहेगा। पर साथ ही मुझे जोर देकर कहना है कि उसे वे बुरी आदतें और रूढ़ियां छोड़नी पड़ेंगी, जो उसकी प्रगति में बाधक रही हैं और जो आज भी लोगों का ध्यान उन मुख्य विषयों से हटाती रहती हैं, जिन पर हमें यहां बैठकर विचार करना चाहिये। अतः देश की इस समूची एकता और विविधता के लिए-हमें अपनी भावी उन्नति संबंधी योजना बनानी पड़ेगी और क्षण भर इस बात का ध्यान करते ही मैं योजना आयोग के प्रतिवेदन की इन दो भारी-भरकम जिल्दों को भूल जाता हूं, और मेरे सामने एक दूसरा ही दृश्य—अपना निर्माण पुनर्निर्माण करने वाले राष्ट्र की महान् गाथा, नए भारत के निर्माण के लिए हम सब के साथ साथ प्रयत्न करने की महान् कल्पना का एक चित्र—खिंच जाता है, जो अमूर्त भावना नहीं, बल्कि ३६ करोड़ जनता की व्यक्तिगत या वर्गगत रूप में साथ-साथ काम करते हुए आगे बढ़ने की अभिलाषा का दृश्य है।

वस्तुतः हम उस औद्योगिक-क्रांति का साथ यथासंभव शीघ्र पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनेक वर्ष पहले पश्चिमी देशों में हुई थी और जिसने एक शताब्दी या कुछ अधिक समय में बड़े बड़े परिवर्तन पैदा कर दिए थे; जिस महान् वृक्ष की शाखाएं अंत में दो दिशाओं में फैली थीं, और आज एक दिशा का प्रीतनिधित्व संयुक्त राज्य अमरीका का विशाल प्रौद्योगिकीय विकास कर रहा है और दूसरी दिशा का प्रतिनिधित्व

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सोवियत संघ —आज वे भले ही परस्पर लड़ें, पर दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। इस औद्योगिक क्रांति का इतिहास बहुत लंबा है और भारत की बात चलाते समय यूरोपीय इतिहास का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। मैं नहीं समझता कि हम भूतकाल की भूलें फिर क्यों दुहराएं। प्रकट है कि हमें अतीत से पाठ सीखना होगा, और उन भूलों से बचना होगा।

हम औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं और मेरे निकट यह बिलकुल स्पष्ट है कि जल्दी से जल्दी हमें भारत का औद्योगीकरण करना होगा। 'औद्योगीकरण' शब्द में मैं सभी प्रकार के उद्योगों—बड़े, बीच के, छोटे, ग्राम, घरेलू—को समेटता हूं। आप जैसे चाहें जोड़ लें, देश के औद्योगीकरण की दिशा में हमारे द्वारा उठाए गए बड़े से बड़े पग के फलस्वरूप अगले दस, बीस या तीस या यथेच्छ वर्षों में देश की जनसंख्या के एक छोटे से भाग को ही काम मिल सकता है। फिर भी करोड़ों बाकी बचेंगे, जिन को मुख्यत: कृषि में और फिर छोटे-मोटे या घरेलू-उद्योगों में लगाना पड़ेगा। बड़े उद्योग बनाम घरेलू उद्योग या ग्रामोद्योग वाला बार-बार रखे जाने वाला तर्क कुछ नासमझी का तर्क है। मुझे कोई संदेह नहीं कि इस देश में बड़े-बड़े उद्योगों को विकसित किए बिना हम अपना जीवन-स्तर नहीं बढ़ा सकते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ चीजें इतनी अत्यावश्यक हैं कि उनके बिना आप स्वाधीन नहीं रह सकते; दूर न जा कर प्रतिरक्षा को ही लें, उसके बिना हमारा देश स्वाधीन नहीं रह सकता। अत: हमें अपने उद्योगों को उस बड़े पैमाने पर विकसित करना होगा, पर साथ ही यह ध्यान तो सदैव रखना ही होगा कि उन बड़े-बड़े उद्योगों से ही इस देश के करोड़ों व्यक्तियों की समस्या हल नहीं होती, और हमें छोटे-मोटे ग्रामोद्योगों और घरेलू-उद्योगों को भी भारी मात्रा में विकसित करना होगा पर छोटे-बड़े प्रत्येक प्रकार के उद्योग को विकसित करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम मानव-तत्व को न भूल जाएं। हम अधिक धन या अधिक उत्पादन ही नहीं चाहते, बल्कि अन्ततोगत्वा हम इस देश की मानव जाति का स्तर बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक आदि रूपों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक अन्य रूप में भी उसे अपेक्षतया अधिक अवसर प्रदान करना चाहते हैं। हम अन्य देशों में यह देख चुके हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ अवश्यंभावी रूप में स्वत: मानवीय विकास या राष्ट्रीय-विकास नहीं होता। अत: हमें यह मानचित्र अपने ध्यान में रखना होगा और यह नहीं सोचना होगा कि बाजारों या सट्टा-बाजारों में बढ़ने वाले व्यापार से ही राष्ट्र का विकास हो जाएगा। अत: इन सब बातों का संतुलन रखने के लिए, देश के आर्थिक विकास के अभिप्राय से एक समन्वित योजना बनाने के लिए व्यक्ति के विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करने के लिए और देश में अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीनता लाने के लिए आपको यह सब राजनीतिक प्रजातंत्र के ढांचे के अधीन रहते हुए ही करना पड़ेगा। राजनीतिक प्रजातंत्र भी तभी उचित ठहर सकेगा, जब उससे ये परिणाम पैदा हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो राजनीतिक प्रजातंत्र किसी दूसरे आर्थिक या सामाजिक ढांचे के आगे घुटने टेक देगा, भले ही हम इसे कितना ही पसंद या नापसंद करें। आखिर यह तो नतीजे से ही जाना जा सकेगा कि हम इस देश में या दुनिया के किसी देश में क्या ढांचा अपनाएं जब हम राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना होगा कि अब इस

की १९वीं शताब्दी वाली विचित्रता लुप्त होती जा रही है। यदि राजनीतिक प्रजातंत्र को सार्थक रहना है, तो उसे क्रमशः आर्थिक प्रजातंत्र बनना होगा। उसके बिना यदि देश में भारी असमानता बनी रही तो दुनियां भर के राजनीतिक प्रजातंत्र और व्यस्कमताधिकार मिलकर भी प्रजातंत्र का वास्तविक स्वरूप उपस्थित नहीं कर सकते। अतएव आपका लक्ष्य वही होगा—आप उसे आर्थिक प्रजातंत्र कहें या वर्गगत गहरी खाइयों को समाप्त करना कहें—जिससे अपेक्षतया समानता वाला और एकस्वरूप समाज बन सके। दूसरे शब्दों में, इसे विद्यमान वर्गों को क्रमशः समाप्त करना होगा और अंत में वर्गहीन समाज की रचना करनी होगी। वह दिन कुछ दूर हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना दूर; पर आपको उस पर ध्यान रखना होगा।

जहां तक इस देश का संबंध है, आप संघर्ष और हिंसा द्वारा उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें शांति द्वारा अनेकों लाभ हुए हैं और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि अब आप उसे छोड़ हिंसात्मक उपायों को अपना लें। उलटे इसके विपक्ष में अनेक कारण हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लक्ष्य और आदर्श भले ही अत्यंत उच्च हों पर यदि हम उनको हिंसात्मक उपायों से पाना चाहेंगे, तो इसमें बड़ी देर लगेगी और वही बुराइयां खड़ी हो जाएंगी जिनके विरूद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं। भारत केवल विशाल देश ही नहीं है, बल्कि विविधतापूर्ण देश भी है, और यदि कोई तलवार उठाता है तो निश्चय ही उसके मुकाबिले के लिए तलवार वाला कोई न कोई व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। अतः यह तलवारों का युद्ध, हिंसा बन जाएगा और इस प्रकार राष्ट्र की सीमित शक्तियां विनिष्ट या नष्टप्राय हो जाएंगी।

१ म० प०

अतः शांतिपूर्ण प्रणाली वाला उपाय ही प्रजातंत्री प्रगति का एकमात्र उपाय है। पर प्रजातंत्री विचारधारा के चरम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यही कहना काफी नहीं कि हमने सबको मताधिकार दे दिया है और अब शेष यथावत् रहने दिया जाए। चरम उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र है। चरम उद्देश्य गरीब-अमीर की उन व्यक्तियों की जिनके लिए पूरे-पूरे अवसर हैं और जिनके लिए कोई अवसर नहीं है इस गहरी खाई को पाटना है। यह ध्यान में रखना होगा। उस उद्देश्य के आड़े आने वाली प्रत्येक वस्तु को रास्ते से हटाना होगा—मैत्रीपूर्वक सहयोगपूर्वक और राज्य के दबाव से हटाना होगा; विधि द्वारा हटाना होगा, क्योंकि आपके उस सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के आड़े कुछ भी नहीं आने दिया जा सकता।

अतएव इस प्रकार की योजना का अर्थ इधर-उधर अनेकों फैक्टरियां खोल देना ही नहीं है; इधर-उधर अपेक्षतया कुछ अधिक उत्पादन दिखा देना ही नहीं है—यद्यपि वस्तुतः वह भी आवश्यक है—बल्कि कुछ गंभीर महत्व की बात है; समाज के उस ढांचे पर ध्यान रखने वाली बात है, जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। वास्तव में आप या हम यह नहीं कह सकते कि कल क्या होगा और अगली पीढ़ी क्या करेगी—न आप या हम यही कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी कैसी होगी। तीव्र प्रौद्योगिकीय प्रगति के इन दिनों में कोई नहीं जानता कि कुछ समय बाद दुनियां कैसी हो जाएगी। हम प्रौद्योगिकीय रूप में पिछड़े हुए हैं। अतएव बड़ी बड़ी समस्याओं की चर्चा करते समय हम कुछ स्थिर रूप में बात करते हैं और यह भूल जाते हैं कि दुनियां बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। यदि हम उस के साथ न चले तो या

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद से प्रौद्योगिकीय-प्रगति की तीव्र गति साधारणतः सर्वविदित रही है, पर फिर भी हमें दैनिक प्रगति का भावात्मक ज्ञान नहीं है और संभव है दस बीस या अधिक वर्षों में यह प्रौद्योगिकीय प्रगति दुनियां के पदार्थ का पहलू ही बदल दे और मानव जाति के जीवन पर अपार प्रभाव डाले। उनकी विचारधारा बदल दे और उनका आर्थिक ढांचा ही बदल दे। कुछ भी संभव है। हम भविष्य को बांध नहीं सकते। अभी तो हमें विद्यमान तथ्यों से ही निपटना होगा।

पर मैं इन विस्तृत तत्वों का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं, जिससे हमारे मन में वह गतिशील स्वरूप, वह दृश्य, वह क्रांतिमयी भांकी अंकित हो जाए, जिसे न केवल जन-साधारण ही, बल्कि हमारे विशेषज्ञ-- अर्थशास्त्री और योजनाविशारद-- भी नहीं पहचानते। वे अपनी कार्यप्रणाली में बहुत कुछ स्थितिशील हो गए हैं। मैं इस विशाल परिवर्तन को नहीं समझता। हम क्रांति की बात करते हैं और शायद यह समझते हैं कि क्रांति ऐसी चीज है जिस में आप एक दूसरे का सिर तोड़ सकते हैं। वह क्रांति नहीं है। वह कुछ हो या न हो-- यह अलग बात है। भली हो या बुरी क्रांति ऐसी चीज है, जो समाज के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को मूलतः बदल देती है, अतः इस पृष्ठभूमि के साथ हमें अपने इस योजना संबधी पहले प्रयत्न पर विचार करना है।

स्वभावतः यह परिपूर्ण नहीं है। मैं परिपूर्णता का दावा नहीं करता। परिपूर्णता बड़ी बात है। मेरी समझ से इसमें छिद्रान्वेषण संभव है। वह दिखा देना बहुत सरल है कि इसमें यहां पर त्रुटि है या यह बात यहां पर ठीक नहीं है, या इतना और हो सकता था या अमुक आवश्यक बात छूट गई है या अमुक अनावश्यक बात रख दी गई है। यह सब हो सकता है और किया जाएगा। मुझे कोई संदेह नहीं कि बाद में योजना-आयोग इन सारी बातों से लाभ उठाएगा। पर इसे केवल आलोचना की ही दृष्टि से नहीं, बल्कि इस विस्तृत प्रसंग में देखें कि यह भारत में वह पहला प्रयास है जो देश के सर्वांगीण चित्र को कृषि संबंधी, औद्योगिक, सामाजिक आर्थिक आदि-आदि पहलुओं को--एक विचार सूत्र में बांधता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, और मैं कहता हूं कि इसमें इधर-उधर कुछ त्रुटियां भी हों, तब भी यह एक वृहत् प्रयास के पूर्ण होने की कहानी है। इसमें न केवल इसमें भाग लेने वालों को और न केवल इस सदन के सदस्यों को जो इन भारी भारी समस्याओं पर विचार करते हैं, बल्कि समूचे देश को ही योजना के प्रति जागरूक बना दिया है। इसने उनको इस समुचे देश की बात सोचने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि मेरे विचार से इस देश में हमारे लिए आज सर्वाधिक महत्व की बात यही है कि इस देश को जो, राजनीतिक तथा अन्य बातों में तो एक है, पर जहां मानसिक और भावनात्मक एकता उतनी नहीं है, उस विषय में भी एकता के सूत्र में पिरो दिया जाए। प्रायः हम प्रांतीय, सांप्रदायिक, जातिगत या ऐसे ही अन्य विचारों में बह जाते हैं, और देश की भावनामय एकता के प्रति उतने जागरूक नहीं रहते, जितना हमें होना चाहिये। यह योजना ही है, जो उन समस्याओं पर सामहिक रूप में विचार करते हुए हमारे हृदयों में अपनी सामूहिक समस्याओं के प्रति वह भावनामय ज्योति जगा सकेगी, जिसके फलस्वरूप हम अपने गांव, जिलों या प्रांतों की समस्याओं को अलग

नहीं समझेंगे। अतएव योजना तैयार करने, अपनी समस्याओं को इस प्रकार सुलझाने और इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह कार्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसके लिए अपने आप को बधाई दे सकते हैं।

यह याद रखें कि दो-तीन वर्ष पहले जब हमने योजना संबंधी चर्चा चलाई थी, तो इसके विरुद्ध बड़ी-बड़ी आवाजें उठाई गई थीं। कुछ लोगों के लिए योजना का अर्थ है, उद्योग की तटकर द्वारा या धन देकर सहायता करना और उनको मन चाहा करने के लिए छोड़ देना। वे किसी भी रूप में नियंत्रित होना पसंद नहीं करते। यद्यपि योजना का तत्व देश की समूची अर्थ व्यवस्था के ऊपर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रखना है, यह योजना देश के उद्योगों के निजी खंड और लोक खंड का निर्देश करती है। पर सदन को तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि यह निजी खंड भी वस्तुतः नियंत्रित रहेगा, यद्यपि उतना तो नहीं, पर फिर भी वह कई प्रकार से नियंत्रित खंड होगा और दिन-दिन अधिकाधिक नियंत्रित होता जाएगा। अपने लाभों और लाभांशों के विषय में वह नियंत्रित हो सकता है, पर इसे कुछ अधिक रूप में नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों पर नियंत्रन रखना पड़ेगा, और यह प्रतिवेदन अनेक विषयों के प्रति सजग है। पर यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, पर निश्चयात्मक रूप में यह नहीं कहा गया कि यह करो, क्योंकि इसने बहुत कुछ इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है। बैंकिंग और बीमा जैसे विषयों को लें। देश की अर्थव्यवस्था में वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। युद्ध कौशल की दृष्टि से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उनका नियंत्रण होना चाहिए। क्या किया जाए और कैसे किया जाए आदि बातों पर कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि योजना-आयोग ने विवरण देना उपयुक्त नहीं समझा। पर प्रतिवेदन के पहले अध्याय पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इनको ध्यान में रखना होगा, और उनको किसी न किसी रूप में नियंत्रित करने के लिए पग उठाने होंगे जिससे उन को एक नियंत्रित अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र और परिधि के अधिकाधिक अनुरूप बनाया जा सके।

अतः यह योजना कुछ निश्चित बातों के करने का और बहुत-सी दूसरी बातों के करने का सुझाव देती है, पर यह विवरणों को नहीं लेती और इस बात को नहीं बताती कि यह कैसे किया जाए और कब किया जाए। वह योजना काल में किया जा सकता है, पीछे नहीं, क्योंकि योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने का मार्ग कांटों और भूलों से भरा हुआ है। हम में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भविष्य की धुंधली झांकी भर देख सकते हैं और समानांतर रेखाओं के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। पिछले अनुभव के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। पर, आखिर कार आप की फौलाद, सीमेंट और दूसरी अनुमेय चीज़ों से ही नहीं निपटना है, बल्कि आपको इस देश के ३६ करोड़ व्यक्तियों से निपटना है, जो एक दूसरे से सर्वथा पृथक् है। दुनियां के सारे के सारे अंकशास्त्री और अर्थशास्त्री यह नहीं बता सकते एक व्यक्ति समूह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आप को आज़माइश और भूल के रास्ते ही बढ़ना होगा। मुझे संदेह नहीं कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय आएगा तो हमारी स्थिति कहीं अधिक अच्छी और कहीं अधिक दृढ़ होगी, क्योंकि तब हम इस विचार-विमर्श और उसके प्रतिफल वाली प्रक्रिया को पार कर चुकेंगे। और इस योजना के अनुसार निर्माण करने और आज़माइश करने की जो प्रक्रिया होगी, उससे

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। इसलिए दूसरी योजना बहुत अधिक प्रभावी और तलस्पर्शी योजना होगी, जो न केवल सिद्धान्त बल्कि व्यवहार द्वारा अर्जित अपेक्षतया अधिक ज्ञान पर आधारित होगी।

यह भी याद रखें कि यद्यपि हम इसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, पर पांच में से दो वर्ष तो निकल चुके हैं। अतः वस्तुतः यह अगले तीनेक वर्ष की योजना है। हम ने यह योजना कुछ बंधनों के साथ शुरू की है, क्योंकि हमें पहले से हो चुकी बातों को मानना पड़ा है। हम ने उन बातों को शुरू नहीं किया, पर हमें उनको मानना पड़ा। हमारे संसाधन पहले से हो चुकी बातों से बंध गये, और स्वभावतः उनको मानते हुए हमें शेष साधनों से अगले समय का प्रबन्ध करना पड़ा।

अतः यह पंचवर्षीय योजना आंशिकरूप में पहले से ही चल रही है और अगले तीनेक वर्षों में यह पूरी हो जायेगी। यह भी ध्यान में रखिये कि यह योजना अनिवार्यतः भविष्य की अपेक्षतया अधिक और तीव्र प्रगति की तैयारी वाली योजना ही है। जैसा मैं ने, कहा, यदि हम ने नींव पक्की रखी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसकी अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से प्रगति करेगी। हम ने विविध चालें सुझाई हैं, लोग जैसे चाहें जोड़ लें। कुछ लोग कहते हैं कि यह चाल बहुत धीमी है। दूसरे कहते हैं "यह बहुत तेज़ है क्या आप इसे पूरा कर सकेंगे ?" यह बुद्धिमत्तापूर्ण आंकड़ों और पूर्वाशाओं के आधार पर जोड़ा गया है। यदि हम इस से अच्छा कर सकते हैं, तो हम निश्चय ही वैसा करेंगे।

हम औद्योगीकरण की बात करते हैं। पहले के अध्यायों में दिये गये कुछ आंकड़े यह बतलाते हैं कि कितना उद्योगों में जायेगा, कितना कृषि में, और कितना सामाजिक सेवाओं, यातायात तथा शेष बातों में। इस मानचित्र में उद्योग सम्बन्धी उपबंध इतना आकर्षक नहीं दिखाई देता। कृषि बहुत कुछ ले जाती है। जहां तक मुझे याद है, सिंचाई पर एक काफ़ी मोटी सी रक़म ख़र्च होनी है। हम उद्योगों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, पर प्रस्तुत प्रसंग में हम कृषि तथा खाद्य और कृषि सम्बन्धी अन्य बातों को अपेक्षतया अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि यदि कृषि सम्बन्धी हमारी नींव ही दृढ़ न हुई, तो हम जो उद्योग खड़े करेंगे उनका आधार दृढ़ न होगा। इस के सिवा आज यदि हमारे देश में खाद्य का मोर्चा गड़बड़ हो जाता है, तो सभी कुछ गड़बड़ हो जायेगा। अतः हमें खाद्य के मोर्चे को काफ़ी दृढ़ रखना होगा, हम उसे कमज़ोर करने का दुःसाहस नहीं कर सकते। यदि हमारी कृषि सुधर जाये सुदृढ़ हो जाय, तो, हमारे लिये उद्योगों की ओर तेज़ी से बढ़ना सरल हो जाता है; पर यदि हम आज कृषि को दुर्बल छोड़ कर उद्योगों की ओर बढ़ते हैं, तो उद्योगों को भी दुर्बल कर देंगे। इस लिये सब से पहले कृषि तथा खाद्य की ओर ध्यान दिया गया है और मेरे विचार से इस समय भारत जैसे देश के लिये यह अत्यावश्यक भी है।

फिर भी कुछ बुनियादी और प्राणभूत उद्योगों की बात सोची गई है और उनको रखा गया है। उद्योगों के विकास के लिए बुनियादी चीज़ शक्ति है शक्ति——विद्युत् शक्ति है। आप तब तक किसी भी उद्योग को विकसित नहीं कर सकते, जब तक आप के पास काफ़ी बिजली न हो। किसी भी देश की प्रगति का अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां कितनी बिजली है। किसी देश के विकास की यह अच्छी जांच है। अब हमें इन विभिन्न जल-विद्युत् परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं और बहुसूत्री परियोजनाओं आदि से बिजली मिल जायेगी।

अपने इस प्रारंभिक निवेदन में मैं इन दो जिल्दों के विवरणों को नहीं लेना चाहता । मुझे कोई संदेह नहीं कि माननीय सदस्य इन की बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और चर्चा के सिलसिले में अपने सुझाव देंगे । मैं सादर सुझा दूं कि शेष अध्यायों की अपेक्षा पहले चार अध्याय या कुछ और अध्याय अपेक्षतया अधिक ध्यान से पढ़े जायें और चर्चा में उनको ही विशेष रूप में लिया जाये, क्योंकि उन में योजना के ढांचे के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रणाली को स्पष्ट किया गया है । शेष अंश भी यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर वे विवरण मात्र ही हैं और कोई भी संसद् बैठ कर विवरणों और पूर्ववर्तिताओं की निश्चित नहीं कर सकती । संसद् को वह लक्ष्य और साधारण ढांचा निश्चित करना है, जिसका हम पालन करें ।

अतएव मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को सुलझाते समय हम साधारण सिद्धान्तों और लक्ष्यों को ध्यान में रखें । हम तरीके निश्चित कर दें । यदि आप चाहें तो मैं कह दूं कि हम उन तरीकों की रूपरेखा बना चुके हैं और उन पर काम कर रहे हैं--यह इस समस्या का साधारण प्रजातंत्री समाधान है । यद्यपि ऐसा है, फिर भी प्रजातंत्र विषयक अपनी कल्पना को हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं । हम प्रजातंत्र का अर्थ वह नहीं लगाते, जो दूसरे देशों में अर्थशास्त्र के 'हस्तक्षेप न करना' सिद्धान्त के नाम से पुकारा जाता है । वह सिद्धान्त अब भी कुछ लोगों के मन में रह सकता है । परन्तु वस्तुतः यह वैसे ही मृतवत् हो गया है, जैसे इसको जन्म देने वाली उन्नीसवीं शताब्दी--और अब यह उन देशों में भी समाप्त हो चुका है, जो इसकी विशेष चर्चा चलाया करते हैं । कुछ भी सही, हम भारतवासी इसे पूर्णतः अस्वीकार करते हैं । हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है ।

वस्तुतः इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य प्रत्येक बात को अपने प्रभार में ले रहा है । ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ने एक निजी खंड रखा है और एक लोक खंड । पर जैसा मैं ने कहा, निजी खंड को भी, जिसे हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हमारी नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनना पड़ेगा । उस अर्थ में इसकी उपक्रम-विषयक स्वाधीनता बहुत कुछ सीमित होगी । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह योजना पर इस प्रसंग को समझते हुए विचार करे ।

मैं आंकड़ों को नहीं लेना चाहता । इस योजना में दो हज़ार करोड़ से अधिक रुपयों का उपबन्ध है, जो प्रारूप योजना की अपेक्षा कई सौ करोड़ रुपये अधिक है । हमारे संसाधनों और दो हज़ार करोड़ रुपयों के बीच भारी अन्तर है । आशा है, शायद हमारे संसाधन बढ़ जायें । हमें बाहर से कुछ सहायता मिल सकती है । कुछ पहले ही मिल चुकी है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह भय व्यक्त किया है कि यह बाहरी सहायता हमारी उस स्वाधीनता में बाधा डालेगी कि इस देश में हम क्या करें या क्या न करे । हां, यह बिल्कुल सच है कि किसी विषय में जब कोई किसी बाहर वाले पर आश्रित होता है, तो यह खतरा हो जाता है । मान लो हम अपनी सेना के लिये अस्त्रों की पूर्ति के विषय में विदेशों पर आश्रित रहें--तो कुछ सीमा तक इस में बहुत कुछ खतरा है । यदि हम अपनी आर्थिक उन्नति के लिये विदेशों पर आश्रित हैं, तो निश्चय ही हम उन पर आश्रित हैं । पर मेरे मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं अपनी उन्नति की गति धीमी रखना पसंद करूंगा, पर विदेशों की सहायता का आश्रित बन जाना पसन्द न करूंगा ।

यह कह चुकने के बाद वस्तुतः मैं कोई कारण नहीं देखता कि यदि हम अपने आप विदेशों से वैसी सहायता लेने योग्य शक्तिशाली हैं, जो हमें तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायता देगी, तो हम वैसा करने में क्यों डरें । अनेकों ऐसी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बातें हैं, जो हम उस सहायता से पूरी कर सकते है और जो हमें उसके न होने पर आगे के लिये स्थगित करनी पड़ेंगी। एक ओर थोड़ा सा ख़तरा है, बंध जाने का ख़तरा नहीं बल्कि आप चाहें तो उसे नैतिक ख़तरा कह दें या और कुछ। दूसरी ओर हमें, इस संसद् और इस देश को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि हमें क्या करना है, और दोलारूढ़ नहीं रहना चाहिये। आख़िर अतीत काल में, प्राय: प्रत्येक देशने दूसरे देशों से विविध रूपों में सहायता ली है और मैं कोई कारण नहीं देखता कि जब इस सहायता से हमारी नीति और कार्यप्रणाली पर ज़रा भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम उसे लेना क्यों न पसंद करें।

श्रीमान् अब देर हो रही है और यह बहुत बड़ा विषय है। पर मैं अपनी बात सदन द्वारा इस विशाल रिपोर्ट के विचार की प्रस्तावना के रूप में कहना चाहता था और विवरणों को नहीं लेना चाहता था। मुझे कोई संदेह नहीं कि इस चर्चा के सिलसिले में अनेकों बातें उठेंगी, जिनका उत्तर देना आवश्यक होगा और उन को मेरे सहयोगी या सदन के अन्य सदस्य निपटायेंगे या मैं स्वयं बाद में निपटाऊंगा।

पर मैं इस अवसर पर अपने देश के पर्निर्माण की कल्पना को लेकर अपने हृदय में उद्वेलित अनुभूतियों का विवरण देना चाहूंगा। इस समय हम ऐसे महान् कार्य में तल्लीन हैं, जिस के लिये हमारा संयुक्त प्रयत्न ही अपेक्षित नहीं है, बल्कि उस संयुक्त प्रयत्न के साथ उमंग और सुधार की प्रेरणा भी संबद्ध होनी चाहिये। और मुझे कोई संदेह नहीं कि यदि यह सदन इस प्रतिवेदन को उस रूप में मान ले, और हम अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों और देश के दूसरे भागों में इस सदन, इस संसद्, और इस पंचवर्षीय योजना का यह संदेश लेकर जायें, और इसके अनुसार काम करें तो निश्चय ही यह काग़ज़ी योचना देश में क्रमश: वास्तविक रूप प्राप्त करती जायेगी। और मेरे विचार से यह भी संभव है कि इस पर काम करते-करते आप इससे आगे को निकल जायें और योजना आयोग के सदस्यों द्वारा सोची गई स्थिति से भी बहुत आगे बढ़ जायें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री एच० एन० मुखर्जी: (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : श्रीमान्, इन दोनों विशाल जिल्दों को पढ़ने के लिये हमें बहुत कम समय मिला है, अत: हम चार दिन तक इस पर चर्चा करें, और यदि आवश्यक हो, तो वह एक दिन के लिये स्थगित भी कर दी जाए, जिस से हम प्रधान मंत्री के इस भाषण पर भी पूरी पूरी तयारी कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में भाग लेने के लिये उत्सुक अनेकों सदस्यों का ध्यान रखते हुए १५, १६, और १७ की तारीखें निश्चित की गई हैं, और समय बढ़ा कर १० म० पू० से ६ म० प० तक (मध्यान्ह भोजन का समय छोड़ कर) कर दिया गया है, इस से २ घंटे रोज़ के जोड़ कर लगभग एग दिन और हो जाता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सत्र २० तारीख़ तक चलेगा और उसके आगे जाना मुश्किल है, हम १९ और २० दो पूरे दिन कुछ महत्वपूर्ण विधान-कार्य के लिये चाहते हैं। इस के सिवा मैं आपके और सदन के हाथ में हूं। आपने कृपया समय बढ़ा दिया है और यदि आवश्यक हो तो इस समस्या पर विचार करने के लिये हम एक-दो दिन के लिये प्रश्न-काल भी छोड़ सकते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : ठीक है, १९ और २० को छोड़ते हुए १८ तक तो चर्चा चल ही सकती है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां श्रीमान्, जैसा आप ने कहा कि एक-दो दिन बाद आप

निर्णय कर देंगे। जहां तक हमारा संबन्ध है, हम तो १८ तक चलाने को तैयार हैं, पर उसके आगे न जायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी : शेष विधान-कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं, और हम उसे एक-डेढ़ दिन में निपटा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे, पर यह १८ के आगे नहीं जा सकता।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ३ म० प० तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ३ म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : आये हुए संशोधनों में कुछ अनियमित हैं, शेष रखे जायेंगे। पहले दो संशोधन श्री वल्लाथरास के नाम से हैं--पहला इसका अगले सत्र तक स्थगन और दूसरा जनमत के लिये परिचालन चाहता है। वह संकल्प को स्थगित क्यों करना चाहते हैं?

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : चूंकि सारे राष्ट्र का इससे सम्बन्ध है, और २००० से भी अधिक करोड़ रुपयों का व्यय होना है। सरकार ने इसे तैयार करने में इतना समय लगाया, पर जनता के निकट इसका लक्ष्य स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रारूप रूपरेखा बहुत पहले संसद् और देश के सामने रख दी गई थी, और सर्वत्र खूब चर्चा हो चुकी है। अतः इन संशोधनों को देर करने वाला मानते हुए मैं अनियमित ठहराता हूं। अब माननीय सदस्य अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत कर दें। अनुपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत किये गये न माने जायेंगे। किसी संशोधन के किसी अंश के अनियमिति होने पर उस अंश को अनियमित घोषित करने का अधिकार रहेगा।

श्री वल्लाथरास के संशोधन में योजना के आंकड़ों की अत्याधिक आशावादी बताते हुए उससे देश की अर्थव्यवस्था के विघटन की आशंका प्रकट की गई।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) के संशोधन में योजना में जनता की राष्ट्रीय उमंगों का अभाव बताते हुए राज्यनीति के निदेशक तत्वों के विपरीत संपत्ति के व्यक्तियों के पास एकत्र हो जाने की अशंका की गई।

श्री एच० एन० मुकर्जी के संशोधन में जनकल्याण और समाज व्यवस्था के लिये योजना को अपर्याप्त बताते हुए उसके प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़) द्वारा अपने संशोधन में जनसाधारण का सहयोग लेने की मांग की गई।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) द्वारा अपने संशोधन में देश के सभी वर्गों का सहयोग लेने की मांग की गई।

श्री पोकर साहब (मल-पुरम्) द्वारा अपने संशोधन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कम लक्ष्य बिंदु के प्रति निराशा प्रकट की गई।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) द्वारा अपने संशोधन में विधानसभा सदस्यों और संसद सदस्यों की अध्यक्षता में गांव गांव में ग्राम-संघ बनाने, देश-भक्ति के नाम पर शहर में बड़े आदमियों की आय स्वेच्छा से कम करवाने, और स्वदेशी-प्रचार करने की मांग की गई और संपत्ति के आयोजन और गांवों के गृह निर्माण के अभाव के प्रति खेद प्रकट किया गया।

श्री चिनारिया (महेंद्रगढ़) द्वारा अपने संशोधन में जमीन और उत्पादन-साधनों के समाजीकरण की मांग की गई।